



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 75] प्रयागराज, शनिवार, 10 अप्रैल, 2021 ई० (चैत्र 20, 1943 शक संवत्) [संख्या 15

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	383-390	3075	भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	7-12	975
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	435-458	1500	भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1-ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 6-(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
भाग 1-ख (2)-श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2-आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975	भाग 6-क-भारतीय संसद के ऐक्ट		975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क-नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख-नगर पंचायत, खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ-जिला पंचायत	..	975	भाग 7-(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
			भाग 7-क-उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		975
			भाग 7-ख-इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
			भाग 8-सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाटों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	445-450	975
			स्टोर्स-पंचैज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-1

प्रोन्नति

07 अप्रैल, 2021 ई0

सं0 04/2021/आई/62718/2021—चयन वर्ष, 2020-21 में उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति कोटे में अवधारित वास्तविक/परिणामी/सम्भावित रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के अधीन गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 18 फरवरी, 2021 को सम्पन्न बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या 14/10/पी0/सेवा-1/2020-2021, दिनांक 24 फरवरी, 2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। तद्क्रम में कार्यालय आदेश संख्या 02/2021/आई/55681/2021, दिनांक 04 मार्च, 2021 द्वारा माह मार्च, 2021 में उपलब्ध वास्तविक रिक्तियों के सापेक्ष पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किये जाने का आदेश निर्गत किया गया।

2—अब चयन वर्ष, 2020-21 में माह अप्रैल, 2021 में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की उक्त संस्तुति के अनुक्रम में पुलिस सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नलिखित निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्रतिसार निरीक्षक एवं दलनायक को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उपाधीक्षक, साधारण वेतनमान (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500) में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0सं0	नाम	ज्येष्ठता क्रमांक
1	2	3
	सर्वश्री/श्रीमती—	
1	शैलेन्द्र प्रताप गौतम	107
2	उदयवीर सिंह	108
3	शिव प्रकाश सोनकर	109
4	भरत कुमार पाण्डेय	110
5	गोपाल स्वरूप बाजपेई	111
6	संगीता सिंह	113
7	बाल मुकुन्द तिवारी	115
8	मोहन प्रसाद	116
9	रविन्द्र प्रताप सिंह	118
10	सुशील कुमार दूबे	120
11	मीनाक्षी शर्मा	122
12	माया राय	123

3—उपर्युक्त प्रोन्नत आदेश मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या 100/2019 श्री विनोद सिंह सिरौही व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा उसके साथ सहसम्बद्ध विशेष अपील संख्या 98/2019, 99/2019 तथा 103/2019 एवं उक्त के अतिरिक्त यदि अन्य कोई याचिका/प्रत्यावेदन विचाराधीन हो तो उसमें पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

4—उपर्युक्त प्रोन्नत आदेश में सम्मिलित कार्मिकों की तैनाती से पूर्व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्मिकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही एवं ई0ओ0डब्लू0/ए0सी0ओ0/सीबीसीआईडी/सतर्कता जांच आदि

प्रचलित/लम्बित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ०प्र०, लखनऊ स्वयं संतुष्ट हो लेंगे और यदि पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो तत्काल सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति प्रतिबन्धित करते हुये उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

5-पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों की तैनाती का आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि रिक्तियां वास्तविक रूप से उपलब्ध हैं। वास्तविक रूप से उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष ही प्रोन्नत आदेश के सापेक्ष तैनाती का आदेश निर्गत किया जायेगा।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश

प्रोन्नति/नियुक्ति

22 मार्च, 2021 ई०

सं० 599 (अधिष्ठान) वि०प०-47/20-उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/(नियुक्ति) आदेश संख्या 74/(अधि०), वि०प०-20/12, दिनांक 12 जनवरी, 2021 के द्वारा श्री राजेश सिंह, उपसचिव के संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये उपसचिव के पद पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानानुसार नियम-6 (1-घ) के अधीन गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली, 1976 के नियम-30 के अन्तर्गत श्री राकेश कुमार पाण्डेय, स्थायी अनुसचिव एवं समिति अधिकारी को उपसचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (रु० 78,800-2,09,200) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

सं० 600 (अधिष्ठान) वि०प०-47/20-उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/(नियुक्ति) आदेश संख्या 73/(अधि०), वि०प०-20/12, दिनांक 12 जनवरी, 2021 के द्वारा श्री नरेश जायसवाल, मुख्य प्रतिवेदक के प्रमुख प्रतिवेदक के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये मुख्य प्रतिवेदक के पद पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानानुसार नियम-6 (1-घ) के अधीन गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली, 1976 के नियम-30 के अन्तर्गत श्री अरविन्द कुमार अग्रहरि, उप मुख्य प्रतिवेदक को मुख्य प्रतिवेदक के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (रु० 78,800-2,09,200) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

सं० 601 (अधिष्ठान) वि०प०-47/20-श्री राकेश कुमार पाण्डेय, अनुसचिव एवं समिति अधिकारी की उपसचिव के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये अनुसचिव एवं समिति अधिकारी के पद पर, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानानुसार नियम-6 (1-घ) के अधीन गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली, 1976 के नियम-30 के अन्तर्गत श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, स्थायी अनुभाग अधिकारी को अनुसचिव एवं समिति अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (रु० 67,700-2,08,700) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

23 मार्च, 2021 ई०

सं० 611 (अधिष्ठान) वि०प०-47/20-उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/(नियुक्ति) आदेश संख्या 2067/वि०प०-47/20 (अधि०), दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 के द्वारा श्री अमर बहादुर सिंह, अनुभाग अधिकारी की अनुसचिव एवं समिति अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये अनुभाग अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानानुसार नियम-6 (1-घ) के अधीन गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली, 1976 के नियम-30 के अन्तर्गत श्री विकास अग्रवाल, स्थायी वरिष्ठतम समीक्षा अधिकारी को अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (रु० 56,100-1,77,500) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

2—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/(नियुक्ति) आदेश संख्या 2067/वि0प0-47/20 (अधि0), दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 के द्वारा श्री रमेश चन्द्र जोशी, अनुभाग अधिकारी की अनुसचिव के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये अनुभाग अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानानुसार नियम-6 (1-घ) के अधीन गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली, 1976 के नियम-30 के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार यादव, स्थायी समीक्षा अधिकारी को अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (रु0 56,100-1,77,500) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

3—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/(नियुक्ति) आदेश संख्या 601/वि0प0-47/20 (अधि0), दिनांक 22 मार्च, 2021 के द्वारा श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, अनुभाग अधिकारी की अनुसचिव एवं समिति अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये अनुभाग अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानानुसार नियम-6 (1-घ) के अधीन गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली, 1976 के नियम-30 के अन्तर्गत श्री रत्नेश्वर शुक्ल, स्थायी समीक्षा अधिकारी को अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (रु0 56,100-1,77,500) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

राजस्व विभाग

अनुभाग-1

अधिसूचना

24 मार्च, 2021 ई0

सं0 ई-115/एक-1-2021-रा-1—चूँकि, जिला मथुरा के तहसील गोवर्धन के राजस्व ग्राम महमूदपुर का नाम परिवर्तित करके परासौली (जिसे आगे उक्त राजस्व ग्राम कहा गया है) किये जाने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा के पत्र संख्या 1253/सात-बी/भूलेख/2018, दिनांक 12 फरवरी, 2019 द्वारा प्रस्तावित किया गया है और आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् के पत्र संख्या जी-308/9-28/2018, दिनांक 15 सितम्बर, 2020 द्वारा संस्तुत किया गया है। भूमि प्रबंधक समिति ने भी उक्त राजस्व ग्राम का पुनर्नामकरण किये जाने का प्रस्ताव पारित किया है।

2—और चूँकि, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 11/13/2020-एम0 एण्ड जी0, दिनांक 11 फरवरी, 2021 द्वारा उक्त राजस्व ग्राम का नाम परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में अनापति प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया है।

3—अतएव, अब, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2006) की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 130/53-पब्लिक, दिनांक 11 सितम्बर, 1953 और पत्र संख्या 11/13/2020-एम0 एण्ड जी0, दिनांक 11 फरवरी, 2021 के निदेश के अनुसरण में, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची में यथा उल्लिखित उक्त राजस्व ग्राम "महमूदपुर" का नाम परिवर्तन करती हैं।

4—राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव, किसी न्यायालय, जो उक्त राजस्व ग्राम के सम्बन्ध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग करता रहा हो, में पहले ही प्रारम्भ की गयी या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा :

अनुसूची

राजस्व ग्राम का वर्तमान नाम	राजस्व ग्राम का परिवर्तित नाम
महमूदपुर	परासौली

आज्ञा से,
रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. E-115/I-1-2021-R-1, dated March 24, 2021 for general information :

No. E-115/I-1-2021-R-1

March 24, 2021

WHEREAS it has been proposed by District Magistrate, Mathura Letter no. 1253/Sat-B/bhulekh/2018, dated February 12, 2019 and recommended by Commissioner and Secretary of Board of Revenue Letter no. G-308/9-28/2018, dated September 15, 2020 to change the name of revenue village Mahmoodpur to Parasouli of Tehsil Govardhan, District Mathura (hereinafter referred to the said revenue village). The Land Management Committee has also passed the proposal to rename the said revenue village.

2. AND WHEREAS the Government of India has given the No Objection Certificate in respect of the changing the name of the said revenue village in their letter no. 11/13/2020- M & G, dated February 11, 2021.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (2) of section 6 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U. P. Act no. 8 of 2006) and in pursuance of the direction of Home Ministry of Government of India letter no. 130/53-public, dated September 11, 1953 and no. 11/13/2020-M & G, dated February 11, 2021, the Governor is pleased to change the name of the said revenue village "Mahmoodpur" with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette* as mentioned in the Schedule below.

4. The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall effect any legal proceeding already commenced or pending in any court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the said revenue village :

SCHEDULE

Present name of the revenue village	Changed name of the revenue village
MAHMOODPUR	PARASOULI

By order,
RENUKA KUMAR,
Apar Mukhya Sachiv.

लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-3

पदोन्नति

19 मार्च, 2021 ई०

सं० 30/2021/584/23-3-2020-7 डब्लू (ई०एस०)/2020-उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री सुरेश प्रताप सिंह को प्रमुख अभियन्ता, वेतनमान रु० 67,000-79,000 (पे-मैट्रिक्स लेवल-15) के पद पर उनके कनिष्ठ श्री अनिल कुमार जैन की प्रमुख अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की तिथि 01 जुलाई, 2020 से नोशनल प्रोन्नति तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक/नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-श्री सुरेश प्रताप सिंह, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के पद का कार्यभार ग्रहण कर योगदान आख्या शासन को प्रस्तुत करेंगे।

आज्ञा से,
जे० बी० सिंह
सचिव।

ग्राम्य विकास विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

19 मार्च, 2021 ई0

सं0 R 269/38-1-2021-3567/2020—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2018 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री संदीप मिश्रा पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद मिश्रा को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद ललितपुर में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेंगी।

सं0 R 270/38-1-2021-3567/2020—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2018 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्रीमती रीता सिंह पत्नी श्री इन्द्र विजय कुमार गौतम को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद हाथरस में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेगी।

सं0 R 271/38-1-2021-3567/2020—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2018 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत सुश्री श्रद्धा गुप्ता पुत्री श्री भोला राम गुप्ता को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद मुरादाबाद में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेगी।

सं0 R 272/38-1-2021-3567/2020—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2018 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री रवि प्रताप चौधरी पुत्र श्री राम प्रताप को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद हमीरपुर में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 10 अप्रैल, 2021 ई० (चैत्र 20, 1943 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय, महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश, शिविर लखनऊ

02 मार्च, 2021 ई०

सं० 605(1-14)/अनु०-2/तीन-ए-425/शि०का०लख०/2021-सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांजन विशेष चयन) परीक्षा, 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र संख्या आ-589/का-4-2020, दिनांक 11 नवम्बर, 2020 द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुये नियुक्ति-पत्र निर्गत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 11 नवम्बर, 2020 के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए श्री अनिल कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीधर मिश्रा, निवासी-ग्राम-दीनानाथपुर, कैयरमऊ औराई, जिला-सन्तकबीर नगर (भदोही) को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैंड 3, वेतनमान रु० 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु० 5,400 यथासंशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु० 56,100-1,77,500 में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है—

2—श्री अनिल कुमार, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि यह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि यह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिये उपयुक्त नहीं हैं तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 19 (3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। श्री अनिल कुमार को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

3-नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनायें प्रस्तुत की जायेंगी-

- (1) आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां।
- (2) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
- (3) इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्रावधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
- (4) अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
- (5) एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
- (6) समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।
- (7) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप में।
- (8) भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

4-नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर लागू होगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

5-नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

6-विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतन्त्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750.00 (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत-पत्र महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करनी होगी तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

7-नव नियुक्त/उप रजिस्ट्रार पदभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 18(6) के अन्तर्गत छः सप्ताह का प्रशिक्षण उप निबन्धक कार्यालय, सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर से सम्बद्ध रहकर नियमानुसार प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण की अवधि में शासनादेश संख्या 253/नौ-आर/20-1927, दिनांक 29 अगस्त, 1927 के अन्तर्गत अंगूठा लेने का भी प्रशिक्षण जिला पुलिस कार्यालय से प्राप्त करेंगे।

8-श्री अनिल कुमार को सूचित किया जाता है कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 17 मार्च, 2021 तक सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, बुलन्दशहर के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्रों के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि श्री कुमार दिनांक 17 मार्च, 2021 तक योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9-श्री अनिल कुमार, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में प्रशिक्षण के मध्य दिनांक 22 मार्च, 2021 से दिनांक 02 अप्रैल, 2021 तक कार्यालय, महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, मुख्यालय, प्रयागराज में उपस्थित रहकर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त शेष अवधि का व्यवहारिक प्रशिक्षण सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त करेंगे।

10-श्री अनिल कुमार उप रजिस्ट्रार को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

सं0 606 (1-14)/अनु0-2/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2021-सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांजन विशेष चयन) परीक्षा, 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4

के पत्र संख्या आ-589/का-4-2020, दिनांक 11 नवम्बर, 2020 द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुये नियुक्ति-पत्र निर्गत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 11 नवम्बर, 2020 के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए श्री शशांक सिंह पुत्र श्री इन्दराज सिंह, निवासी-सी-63/1 गीतापल्ली, आलमबाग, लखनऊ (उ0प्र0) को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैंड 3, वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 यथासंशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500 में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है—

2—श्री शशांक सिंह, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि यह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि यह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिये उपयुक्त नहीं हैं तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 19 (3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। श्री शशांक सिंह को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

3—नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनायें प्रस्तुत की जायेंगी—

- (1) आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां।
- (2) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
- (3) इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्रावधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
- (4) अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
- (5) एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
- (6) समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।
- (7) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप में।
- (8) भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

4—नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

5—नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

6—विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतन्त्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750.00 (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत-पत्र महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करनी होगी तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

7—नव नियुक्त/उप रजिस्ट्रार पदभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 18(6) के अन्तर्गत छः सप्ताह का प्रशिक्षण उप निबन्धक कार्यालय, सदर-प्रथम झांसी से सम्बद्ध रहकर नियमानुसार प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण की अवधि में शासनादेश संख्या 253/नौ-आर/20-1927, दिनांक 29 अगस्त, 1927 के अन्तर्गत अंगूठा लेने का भी प्रशिक्षण जिला पुलिस कार्यालय से प्राप्त करेंगे।

8—श्री शशांक सिंह को सूचित किया जाता है कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 17 मार्च, 2021 तक सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, झांसी के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्रों के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि श्री सिंह दिनांक 17 मार्च, 2021 तक योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9—श्री शशांक सिंह, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में प्रशिक्षण के मध्य दिनांक 22 मार्च, 2021 से दिनांक 02 अप्रैल, 2021 तक कार्यालय, महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, मुख्यालय, प्रयागराज में उपस्थित रहकर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त शेष अवधि का व्यवहारिक प्रशिक्षण सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त करेंगे।

10—श्री शशांक सिंह उप रजिस्ट्रार को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

सं0 608 (1-14)/अनु0-2/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2021—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांजन विशेष चयन) परीक्षा, 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र संख्या आ-589/का-4-2020, दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुये नियुक्ति-पत्र निर्गत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए श्री संजय सिंह पुत्र श्री सोहन पाल सिंह, निवासी-ग्राम-कपना पोस्ट-झाझर, तहसील-खुर्जा, जिला-बुलन्दशहर (उ0प्र0) को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड 3, वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 यथासंशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500 में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है—

2—श्री संजय सिंह, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि यह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि यह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिये उपयुक्त नहीं हैं तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 19 (3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। श्री संजय सिंह को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

3—नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनायें प्रस्तुत की जायेंगी—

- (1) आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां।
- (2) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
- (3) इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्रावधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
- (4) अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
- (5) एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
- (6) समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।

(7) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप में।

(8) भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

4—नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

5—नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

6—विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतन्त्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750.00 (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत-पत्र महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करनी होगी तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

7—नव नियुक्त/उप रजिस्ट्रार पदभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 18(6) के अन्तर्गत छः सप्ताह का प्रशिक्षण उप निबन्धक कार्यालय, सदर-प्रथम अलीगढ़ से सम्बद्ध रहकर नियमानुसार प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण की अवधि में शासनादेश संख्या 253/नौ-आर/20-1927, दिनांक 29 अगस्त, 1927 के अन्तर्गत अंगूठा लेने का भी प्रशिक्षण जिला पुलिस कार्यालय से प्राप्त करेंगे।

8—श्री संजय सिंह को सूचित किया जाता है कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 17 मार्च, 2021 तक सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, अलीगढ़ के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्रों के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि श्री सिंह दिनांक 17 मार्च, 2021 तक योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9—श्री संजय सिंह, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में प्रशिक्षण के मध्य दिनांक 22 मार्च, 2021 से दिनांक 02 अप्रैल, 2021 तक कार्यालय, महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, मुख्यालय, प्रयागराज में उपस्थित रहकर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त शेष अवधि का व्यवहारिक प्रशिक्षण सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त करेंगे।

10—श्री संजय सिंह, उप रजिस्ट्रार को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

सं0 609 (1-14)/अनु0-2/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2021—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांजन विशेष चयन) परीक्षा, 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र संख्या आ-589/का-4-2020, दिनांक 11 नवम्बर, 2020 द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुये नियुक्ति-पत्र निर्गत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 11 नवम्बर, 2020 के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए श्री राहुल सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह, निवासी-मकान नम्बर-70, विक्रान्त खण्ड-2, गोमती नगर, लखनऊ (उ0प्र0) को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैंड 3, वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 यथासंशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500 में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है—

2—श्री राहुल सिंह, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि यह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि यह उप रजिस्ट्रार के पद पर

स्थायी नियुक्ति के लिये उपयुक्त नहीं हैं तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 19 (3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। श्री राहुल सिंह को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

3-नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनायें प्रस्तुत की जायेंगी-

- (1) आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां।
- (2) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
- (3) इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्रावधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
- (4) अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
- (5) एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
- (6) समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।
- (7) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप में।
- (8) भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

4-नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

5-नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

6-विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतन्त्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750.00 (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत-पत्र महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करनी होगी तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

7-नव नियुक्त/उप रजिस्ट्रार पदभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 18(6) के अन्तर्गत छः सप्ताह का प्रशिक्षण उप निबन्धक कार्यालय, सदर, शामली से सम्बद्ध रहकर नियमानुसार प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण की अवधि में शासनादेश संख्या 253/नौ-आर/20-1927, दिनांक 29 अगस्त, 1927 के अन्तर्गत अंगूठा लेने का भी प्रशिक्षण जिला पुलिस कार्यालय से प्राप्त करेंगे।

8-श्री राहुल सिंह को सूचित किया जाता है कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 17 मार्च, 2021 तक सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, शामली के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्रों के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि श्री सिंह दिनांक 17 मार्च, 2021 तक योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9-श्री राहुल सिंह, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में प्रशिक्षण के मध्य दिनांक 22 मार्च, 2021 से दिनांक 02 अप्रैल, 2021 तक कार्यालय, महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, मुख्यालय, प्रयागराज में उपस्थित रहकर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक

पूर्ण करने के उपरान्त शेष अवधि का व्यवहारिक प्रशिक्षण सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त करेंगे।

10—श्री राहुल सिंह, उप रजिस्ट्रार को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

सं0 610 (1-14)/अनु0-2/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2021—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांजन विशेष चयन) परीक्षा, 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र संख्या आ-589/का-4-2020, दिनांक 11 नवम्बर, 2020 द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुये नियुक्ति-पत्र निर्गत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 11 नवम्बर, 2020 के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए श्री राजेश सिंह पुत्र श्री माता चरण यादव, निवासी-ग्राम भरौना, पोस्ट व तहसील-सदर, जिला-मिर्जापुर को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड 3, वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 यथासंशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500 में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है—

2—श्री राजेश सिंह, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि यह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि यह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिये उपयुक्त नहीं हैं तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 19 (3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। श्री राजेश सिंह को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

3—नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनायें प्रस्तुत की जायेंगी—

- (1) आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां।
- (2) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
- (3) इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्रावधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
- (4) अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
- (5) एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
- (6) समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।
- (7) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप में।
- (8) भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

4—नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

5—नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

6—विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतन्त्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750.00 (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत-पत्र महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करनी होगी तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

7—नव नियुक्त/उप रजिस्ट्रार पदभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 18(6) के अन्तर्गत छः सप्ताह का प्रशिक्षण उप निबन्धक कार्यालय, सदर-3, लखनऊ से सम्बद्ध रहकर नियमानुसार प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण की अवधि में शासनादेश संख्या 253/नौ-आर/20-1927, दिनांक 29 अगस्त, 1927 के अन्तर्गत अंगूठा लेने का भी प्रशिक्षण जिला पुलिस कार्यालय से प्राप्त करेंगे।

8—श्री राजेश सिंह को सूचित किया जाता है कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 17 मार्च, 2021 तक सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन (प्रथम), लखनऊ के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्रों के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि श्री सिंह दिनांक 17 मार्च, 2021 तक योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9—श्री राजेश सिंह, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में प्रशिक्षण के मध्य दिनांक 22 मार्च, 2021 से दिनांक 02 अप्रैल, 2021 तक कार्यालय, महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, मुख्यालय, प्रयागराज में उपस्थित रहकर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त शेष अवधि का व्यवहारिक प्रशिक्षण सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त करेंगे।

10— श्री राजेश सिंह, उप रजिस्ट्रार को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

सं0 611 (1-14)/अनु0-2/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2021—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांजन विशेष चयन) परीक्षा, 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र संख्या आ-589/का-4-2020, दिनांक 11 नवम्बर, 2020 द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुये नियुक्ति-पत्र निर्गत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 11 नवम्बर, 2020 के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए सुश्री नम्रता त्रिपाठी पुत्री श्री सत्य प्रकाश त्रिपाठी, निवासी-ग्राम-कैदा पोस्ट-सुरियावा, जिला सन्तरविदास नगर (भदोही) (उ0प्र0) को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड 3, वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 यथासंशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500 में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है—

2— सुश्री नम्रता त्रिपाठी, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगी तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि यह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहती हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि यह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिये उपयुक्त नहीं हैं तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 19 (3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। सुश्री नम्रता त्रिपाठी को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

3—नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनायें प्रस्तुत की जायेंगी—

(1) आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां।

(2) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

- (3) इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्रावधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
- (4) अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
- (5) एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
- (6) समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।
- (7) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप में।
- (8) भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

4—नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

5—नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

6—विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतन्त्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750.00 (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत-पत्र महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करनी होगी तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

7—नव नियुक्त/उप रजिस्ट्रार पदभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 18(6) के अन्तर्गत छः सप्ताह का प्रशिक्षण उप निबन्धक कार्यालय, सदर-प्रथम कानपुर नगर से सम्बद्ध रहकर नियमानुसार प्राप्त करेंगी। प्रशिक्षण की अवधि में शासनादेश संख्या 253/नौ-आर/20-1927, दिनांक 29 अगस्त, 1927 के अन्तर्गत अंगूठा लेने का भी प्रशिक्षण जिला पुलिस कार्यालय से प्राप्त करेंगी।

8— सुश्री नम्रता त्रिपाठी को सूचित किया जाता है कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 17 मार्च, 2021 तक सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, कानपुर नगर के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगी तथा उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगी। यदि सुश्री नम्रता त्रिपाठी दिनांक 17 मार्च, 2021 तक योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करती हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9— सुश्री नम्रता त्रिपाठी, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में प्रशिक्षण के मध्य दिनांक 22 मार्च, 2021 से दिनांक 02 अप्रैल, 2021 तक कार्यालय, महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, मुख्यालय, प्रयागराज में उपस्थित रहकर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। व्यावसायिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त शेष अवधि का व्यवहारिक प्रशिक्षण सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त करेंगी।

10— सुश्री नम्रता त्रिपाठी, उप रजिस्ट्रार को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

सं0 612 (1-14)/अनु0-2/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2021—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांजन विशेष चयन) परीक्षा, 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र संख्या आ-589/का-4-2020, दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुये नियुक्ति-पत्र निर्गत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए श्री शिव शंकर सिंह पुत्र श्री सुग्रीव सिंह, निवासी-ग्राम-महिमापुर (सूरतपुर) पोस्ट-जयरामपुर (गुरगौला) तहसील खगा, जिला

फतेहपुर को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड 3, वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 यथासंशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500 में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है—

2— श्री शिव शंकर सिंह, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि यह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि यह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिये उपयुक्त नहीं हैं तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 19 (3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। श्री शिव शंकर सिंह को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

3—नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनायें प्रस्तुत की जायेंगी—

- (1) आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां।
- (2) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
- (3) इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्रावधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
- (4) अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
- (5) एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
- (6) समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।
- (7) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप में।
- (8) भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

4—नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

5—नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

6—विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतन्त्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750.00 (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत-पत्र महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करनी होगी तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

7—नव नियुक्त/उप रजिस्ट्रार पदभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 18(6) के अन्तर्गत छः सप्ताह का प्रशिक्षण उप निबन्धक कार्यालय, सदर, औरैया से सम्बद्ध रहकर नियमानुसार प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण की अवधि में शासनादेश संख्या 253/नौ-आर/20-1927, दिनांक 29 अगस्त, 1927 के अन्तर्गत अंगूठा लेने का भी प्रशिक्षण जिला पुलिस कार्यालय से प्राप्त करेंगे।

8— श्री शिव शंकर सिंह को सूचित किया जाता है कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 17 मार्च, 2021 तक सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, औरैया के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि श्री सिंह दिनांक 17 मार्च, 2021 तक योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9— श्री शिव शंकर सिंह, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में प्रशिक्षण के मध्य दिनांक 22 मार्च, 2021 से दिनांक 02 अप्रैल, 2021 तक कार्यालय, महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, मुख्यालय प्रयागराज में उपस्थित रहकर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त शेष अवधि का व्यवहारिक प्रशिक्षण सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त करेंगे।

10— श्री सिंह, उप रजिस्ट्रार को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

सं0 613 (1-14)/अनु0-2/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2021—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांजन विशेष चयन) परीक्षा, 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र संख्या आ-589/का-4-2020, दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुये नियुक्ति-पत्र निर्गत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए श्री हिमांशु चन्द्रा पुत्र श्री सुरेश चन्द्रा, निवासी-39 जेल चुंगी, यूनिवर्सिटी रोड, मेरठ (उ0प्र0) को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड 3, वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 यथासंशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500 में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है—

2— श्री हिमांशु चन्द्रा, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि यह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि यह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिये उपयुक्त नहीं हैं तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 19 (3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। श्री हिमांशु चन्द्रा को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

3—नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनायें प्रस्तुत की जायेंगी—

- (1) आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां।
- (2) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
- (3) इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्रावधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
- (4) अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
- (5) एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
- (6) समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।
- (7) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप में।
- (8) भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

4—नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

5—नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

6—विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतन्त्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750.00 (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत-पत्र महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करनी होगी तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

7—नव नियुक्त/उप रजिस्ट्रार पदभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 18(6) के अन्तर्गत छः सप्ताह का प्रशिक्षण उप निबन्धक कार्यालय, सदर प्रथम, हापुड़ से सम्बद्ध रहकर नियमानुसार प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण की अवधि में शासनादेश संख्या 253/नौ-आर/20-1927, दिनांक 29 अगस्त, 1927 के अन्तर्गत अंगूठा लेने का भी प्रशिक्षण जिला पुलिस कार्यालय से प्राप्त करेंगे।

8— श्री हिमांशु चन्द्रा, को सूचित किया जाता है कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 17 मार्च, 2021 तक सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, हापुड़ के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि श्री चन्द्रा दिनांक 17 मार्च, 2021 तक योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9— श्री हिमांशु चन्द्रा, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में प्रशिक्षण के मध्य दिनांक 22 मार्च, 2021 से दिनांक 02 अप्रैल, 2021 तक कार्यालय, महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, मुख्यालय, प्रयागराज में उपस्थित रहकर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त शेष अवधि का व्यवहारिक प्रशिक्षण सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त करेंगे।

10— श्री हिमांशु चन्द्रा, उप रजिस्ट्रार को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

सं0 614 (1-14)/अनु0-2/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2021—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांजन विशेष चयन) परीक्षा, 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र संख्या आ-589/का-4-2020, दिनांक 11 नवम्बर, 2020 द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुये नियुक्ति-पत्र निर्गत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 11 नवम्बर, 2020 के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए श्री प्रभात सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह, निवासी-314 ग्राम पुरे हरी सिंह, चौरी अलादादपुर, जिला बाराबंकी (उ0प्र0) को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैंड 3, वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 यथासंशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500 में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है—

2— श्री प्रभात सिंह, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि यह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि यह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिये उपयुक्त नहीं हैं तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 19 (3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। श्री प्रभात सिंह को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

3—नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनायें प्रस्तुत की जायेंगी—

(1) आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां।

(2) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

- (3) इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्रावधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
- (4) अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
- (5) एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
- (6) समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।
- (7) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप में।
- (8) भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

4—नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

5—नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

6—विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतन्त्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750.00 (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत-पत्र महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करनी होगी तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

7—नव नियुक्त/उप रजिस्ट्रार पदभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 18(6) के अन्तर्गत छः सप्ताह का प्रशिक्षण उप निबन्धक कार्यालय, सदर-प्रथम फिरोजाबाद से सम्बद्ध रहकर नियमानुसार प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण की अवधि में शासनादेश संख्या 253/नौ-आर/20-1927, दिनांक 29 अगस्त, 1927 के अन्तर्गत अंगूठा लेने का भी प्रशिक्षण जिला पुलिस कार्यालय से प्राप्त करेंगे।

8— श्री प्रभात सिंह, को सूचित किया जाता है कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 17 मार्च, 2021 तक सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, फिरोजाबाद के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि श्री सिंह दिनांक 17 मार्च, 2021 तक योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9— श्री प्रभात सिंह, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में प्रशिक्षण के मध्य दिनांक 22 मार्च, 2021 से दिनांक 02 अप्रैल, 2021 तक कार्यालय, महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, मुख्यालय, प्रयागराज में उपस्थित रहकर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त शेष अवधि का व्यवहारिक प्रशिक्षण सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त करेंगे।

10— श्री प्रभात सिंह, उप रजिस्ट्रार को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

सं0 615 (1-14)/अनु0-2/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2021—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांजन विशेष चयन) परीक्षा, 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र संख्या आ-589/का-4-2020, दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुये नियुक्ति-पत्र निर्गत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए श्री रॉबिन वर्मा पुत्र श्री दिनेश कुमार, निवासी-154, सेक्टर 8 पटेल नगर योजना इन्दिरा नगर, लखनऊ (उ0प्र0) को उप

रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड 3, वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 यथासंशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500 में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है—

2— श्री रॉबिन वर्मा, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि यह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि यह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिये उपयुक्त नहीं हैं तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 19 (3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। श्री रॉबिन वर्मा को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

3—नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनायें प्रस्तुत की जायेंगी—

- (1) आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां।
- (2) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
- (3) इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्रावधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
- (4) अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
- (5) एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
- (6) समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।
- (7) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप में।
- (8) भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

4—नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

5—नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

6—विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतन्त्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750.00 (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत-पत्र महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करनी होगी तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

7—नव नियुक्त/उप रजिस्ट्रार पदभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 18(6) के अन्तर्गत छः सप्ताह का प्रशिक्षण उप निबन्धक कार्यालय, सदर, एटा से सम्बद्ध रहकर नियमानुसार प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण की अवधि में शासनादेश संख्या 253/नौ-आर/20-1927, दिनांक 29 अगस्त, 1927 के अन्तर्गत अंगूठा लेने का भी प्रशिक्षण जिला पुलिस कार्यालय से प्राप्त करेंगे।

8— श्री रॉबिन वर्मा, को सूचित किया जाता है कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 17 मार्च, 2021 तक सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, एटा के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि श्री वर्मा दिनांक 17 मार्च, 2021 तक योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9— श्री रॉबिन वर्मा, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में प्रशिक्षण के मध्य दिनांक 22 मार्च, 2021 से दिनांक 02 अप्रैल, 2021 तक कार्यालय, महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, मुख्यालय, प्रयागराज में उपस्थित रहकर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त शेष अवधि का व्यवहारिक प्रशिक्षण सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त करेंगे।

10— श्री रॉबिन वर्मा, उप रजिस्ट्रार को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

सं0 616 (1-14)/अनु0-2/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2021—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांजन विशेष चयन) परीक्षा, 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र संख्या आ-589/का-4-2020, दिनांक 11 नवम्बर, 2020 द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुये नियुक्ति-पत्र निर्गत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 11 नवम्बर, 2020 के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए सुश्री अनीता कुमारी पुत्री स्व0 शिव चरन, निवासिनी ग्राम-लोहटी जय, पोस्ट बहरामघाट, जिला बाराबंकी (उ0प्र0) को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैंड 3, वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 यथासंशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500 में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है—

2— सुश्री अनीता कुमारी, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगी तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि यह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहती हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि यह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिये उपयुक्त नहीं हैं तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 19 (3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। सुश्री अनीता कुमारी को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

3—नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनायें प्रस्तुत की जायेंगी—

- (1) आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां।
- (2) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
- (3) इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्रावधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
- (4) अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
- (5) एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
- (6) समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।
- (7) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप में।
- (8) भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

4—नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर लागू होगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

5—नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

6—विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतन्त्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750.00 (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत-पत्र महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करनी होगी तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

7—नव नियुक्त/उप रजिस्ट्रार पदभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 18(6) के अन्तर्गत छः सप्ताह का प्रशिक्षण उप निबन्धक कार्यालय, सदर, सीतापुर से सम्बद्ध रहकर नियमानुसार प्राप्त करेंगी। प्रशिक्षण की अवधि में शासनादेश संख्या 253/नौ-आर/20-1927, दिनांक 29 अगस्त, 1927 के अन्तर्गत अंगूठा लेने का भी प्रशिक्षण जिला पुलिस कार्यालय से प्राप्त करेंगी।

8— सुश्री अनीता कुमारी, को सूचित किया जाता है कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 17 मार्च, 2021 तक सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, सीतापुर के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगी तथा उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगी। यदि सुश्री अनीता कुमारी दिनांक 17 मार्च, 2021 तक योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करती हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9— सुश्री अनीता कुमारी, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में प्रशिक्षण के मध्य दिनांक 22 मार्च, 2021 से दिनांक 02 अप्रैल, 2021 तक कार्यालय, महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, मुख्यालय, प्रयागराज में उपस्थित रहकर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त शेष अवधि का व्यवहारिक प्रशिक्षण सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त करेंगी।

10— सुश्री अनीता कुमारी, उप रजिस्ट्रार को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

04 मार्च, 2021 ई0

सं0 632(1-16)/अनु0-2/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2021—श्री विनय कुमार सिंह पुत्र श्री जय नारायण सिंह, निवासी ग्राम गौरा, पोस्ट मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ के नियुक्ति आदेश संख्या 604 (1-14) अनु0-2/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2021, दिनांक 02 मार्च, 2021 के प्रस्तर 7 में उल्लिखित प्रशिक्षण स्थान उप निबन्धक कार्यालय सदर, बलिया के स्थान पर उप निबन्धक कार्यालय सदर-3, लखनऊ एवं प्रस्तर 8 में उल्लिखित सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, बलिया के स्थान पर सहायक महानिरीक्षक निबन्धन (प्रथम), लखनऊ पढ़ा व समझा जाए।

नियुक्ति आदेश संख्या 604 (1-14) अनु0-2/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2021, दिनांक 02 मार्च, 2021 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा एवं आदेश के अन्य प्रावधान व शर्तें यथावत् प्रभावी रहेंगी।

सं0 633(1-16)/अनु0-2/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2021—श्री राजेश सिंह पुत्र श्री माता चरण यादव, निवासी ग्राम भरौना, पोस्ट व तहसील सदर, जिला मिर्जापुर के नियुक्ति आदेश संख्या 610 (1-14) अनु0-2/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2021, दिनांक 02 मार्च, 2021 के प्रस्तर 7 में उल्लिखित प्रशिक्षण स्थान उप निबन्धक कार्यालय सदर-3, लखनऊ के स्थान पर उप निबन्धक कार्यालय रामनगर, जनपद वाराणसी एवं प्रस्तर- 8 में उल्लिखित सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, लखनऊ के स्थान पर सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, वाराणसी पढ़ा व समझा जाए।

नियुक्ति आदेश संख्या 610 (1-14) अनु0-2/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2021 दिनांक 02 मार्च, 2021 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा एवं आदेश के अन्य प्रावधान व शर्तें यथावत् प्रभावी रहेंगी।

मिनिस्ती एस0,
आई0ए0एस0,
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति

22 मार्च, 2021 ई0

सं0 306/आठ-वि0भू0अ0अ0/अधिसूचना/गोण्डा-बलरामपुर/2020-21-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत राप्ती मुख्य नहर निर्माण हेतु जनपद-बलरामपुर, तहसील-तुलसीपुर, परगना-तुलसीपुर, ग्राम-लक्ष्मीनगर (पंचपेड़वा) में कुल 1.1970 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2-सरयू नहर परियोजना के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 1-1201/16/96-आई0ए0-1, दिनांक 19 जून, 2000 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्रस्तुत किया गया है तथा धारा 6(2) के उपबन्ध का अवलम्ब लेते हुये भूमि का अर्जन किये जाने का प्रस्ताव है।

3-भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

4-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित भूमि का सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहमति देते हैं।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बलरामपुर	तुलसीपुर	तुलसीपुर	लक्ष्मीनगर (पंचपेड़वा)	398	1.1970

5-अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

6-अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

7-अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
बलरामपुर।

March 22, 2021

No. 306/VIII-S.L.A.O./ Notification/Gonda-Balrampur/2020-21—Under sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Rehabilitation Act, 2013 (Act no. 30 of 2013), hereinafter referred to as the said Act, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate) is satisfied that a total of 1.1970 hectare of land is required for the construction of Rapti Main Canal under the National Project of Saryu Nahar Pariyojna in the Village-Lakshminagar (Pachperwa), Pargana-Tulsipur, Tehsil-Tulsipur, District-Balrampur for public purpose under the said project namely Saryu Canal Project.

2. Letter no. 1-12011/16/96-IA-1, dated 19-06-2000 has been provided by the Ministry of the Environmental & Forests Government of the regarding environmental clearance of Saryu Canal Project in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 6 of the said Act.

3. No families are likely to be displaced due to land acquisition.

4. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose :

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectare</i>
Balrampur	Tulsipur	Tulsipur	Lakshminagar (Pachperwa)	398	1.1970

5. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of the acquisition to takes necessary steps enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section-12 of the Act.

6. Uner section-15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection of land in the locality in writing to the collector.

7. Under section-11(4) of the Act, no person shall make any transaction or any transaction of the land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the collector.

NOTE—A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector,
Balrampur.

**कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ**

28 जनवरी, 2021 ई0

सं0 593/जी0-362-ए/2019-20—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नौतनवा, जनपद महाराजगंज के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
महाराजगंज	नौतनवा	1	मठिया ईदू तप्पा कटहरा
		2	जंगल सोनवल तप्पा लेहड़ा

29 जनवरी, 2021 ई0

सं0 637/जी0-229/62-06—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील हसनपुर, जनपद अमरोहा के ग्राम टांडा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 638/जी0-152-A/2019-20—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा

शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील कादीपुर, जनपद सुलतानपुर के ग्राम भोजपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 639/जी0-226/62-16—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील विधूना, जनपद औरैया के ग्राम कल्यानपुर एरवा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 640/जी0-164/59-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील चायल, जनपद कौशाम्बी के ग्राम भीखनपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

08 फरवरी, 2021 ई0

सं0 755/जी0-166/65—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी

संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लखीमपुर, जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम बरतेर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 756/जी0-157/65-08(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील भाटपाररानी, जनपद देवरिया के ग्राम चुहिया तप्पा घाटी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 757/जी0-157/65-08—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील भाटपाररानी, जनपद देवरिया के ग्राम हठीचक, तप्पा सोहनपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 758/जी0-364/60-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के

दिनांक से तहसील मुजफ्फरनगर, जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम कान्हाहेडी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 759/जी0-153/61-2006—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फरीदपुर, जनपद बरेली के ग्राम रजऊ परसपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 761/जी0-240/2001—रिट याचिका संख्या 1450/बी0/2019, चन्द्रमा प्रसाद व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28 मई, 2019 के अनुक्रम में चकबन्दी आयुक्त के आदेश संख्या 3378/वि0प्र0/सा0, दिनांक 09 अगस्त, 2019 द्वारा ग्राम गजियापुर, परगना सिकन्दरपुर गर्वी, तहसील बेलथरा रोड, जनपद बलिया को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 6 (1) के अन्तर्गत प्रख्यापित करने के निर्देश के साथ याची व अन्य का प्रत्यावेदन दिनांक 31 मई, 2019 निस्तारित कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील बेलथरा रोड, जनपद बलिया के ग्राम गजियापुर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4-क(2) के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति संख्या 2309/जी0610/2016-17, दिनांक 27 मई, 2016 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

12 फरवरी, 2021 ई0

सं0 823/जी0-177-बी/2020-21—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग

करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील आलापुर, जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम माझा कम्हरिया में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4(2) के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति संख्या 4937/जी0-610/2012, दिनांक 04 दिसम्बर, 2014 एतद्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 824/जी0-151-बी/72-20—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील झांसी, जनपद झांसी के निम्नलिखित ग्रामों में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4(2) के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति संख्या 1415/जी0-151-बी/72, दिनांक 22 जुलाई, 2008 एतद्वारा निरस्त करता हूँ।

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
झांसी	झांसी	1	पृथ्वीपुरा नयाखेड़ा
		2	पुरा

सं0 831/जी0-167-A/2020-21—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात के ग्राम मीनापुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 832/जी0-157-B/2020-21—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार

उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर के ग्राम खोटहीं में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 833/जी0-361/60—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, जनपद जौनपुर के ग्राम उत्तरगावां में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

15 फरवरी, 2021 ई0

सं0 881/जी0-166-ए/2020-21/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील धौरहरा, जनपद खीरी के निम्नलिखित ग्रामों में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4-क(2) के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति संख्या विज्ञप्ति संख्या 2995/जी0-610/2016-17, दिनांक 14 जुलाई, 2016 एतद्वारा निरस्त करता हूँ।

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
खीरी	धौरहरा	1	समदहा
		2	रैनी

16 फरवरी, 2021 ई0

सं0 917/जी0-125/68/2020-21—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा

शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील अमेठी, जनपद अमेठी के ग्राम कनकसिंहपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

17 फरवरी, 2021 ई0

सं0 923/जी0-175/59/2019-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील पयागपुर, जनपद बहराइच के ग्राम गुलरिहा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 924/जी0-153/86-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील चरखारी, जनपद महोबा के ग्राम तिसौनी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 925/जी0-356/60-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के

दिनांक से तहसील बीकापुर, जनपद अयोध्या के ग्राम तारुन में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

22 फरवरी, 2021 ई0

सं0 980/जी0-249/64-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 6 की उप धारा (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0ए0-813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर के भदौरा में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क (2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 4172/जी0-610/ 2012 दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 एतद्वारा निरस्त करता हूँ।

24 फरवरी, 2021 ई0

सं0 989/जी0-240/2018-19-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बेलथरा रोड, जनपद बलिया के ग्राम विशुनपुरा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 990/जी0-171/65-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फतेहाबाद, जनपद आगरा के ग्राम बरीपुरा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 991/जी0-152/90/2011(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा

दिनांक से तहसील सदर जनपद रायबरेली के ग्राम सलीमपुर खास में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं० 999/जी०-179/59-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ०प्र० अधिनियम सं० 5, 1954 ई०) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं० 8313/आई०ए०-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी० राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील बिन्दकी, जनपद फतेहपुर के ग्राम रसूलपुर बकेवर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4 (2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 2352/जी०-610/2012, दिनांक 16 जून, 2015 एतद्वारा निरस्त करता हूँ।

02 मार्च, 2021 ई०

सं० 1311/जी०-181/66/2020-21-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ०प्र० अधिनियम सं० 5, 1954 ई०) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं० 1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं० 23/1/1-(5) 1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी० राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी जनपद गोरखपुर के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं:

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
गोरखपुर	खजनी	1	चौतराबाबू तप्पा बेलघाट
		2	पटखैली तप्पा शाहपुर
		3	बढ़ैपुरवा तप्पा परसी
		4	लोनिया कोडर तप्पा उसरी
		5	चपरहट तप्पा बेलघाट

सं० 1312/जी०-266-ए/56-91-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ०प्र० अधिनियम सं० 5, 1954 ई०) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं० 1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं० 23/1/1-(5) 1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी० राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सहजनवा जनपद गोरखपुर के ग्राम तेलियाडीह तप्पा भरसाड़ में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं० 1455/जी०-161-ए/2019-20-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ०प्र० अधिनियम सं० 5, 1954 ई०) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं० 1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं० 23/1/1-(5) 1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी० राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील कर्वी नवसृजित राजापुर जनपद चित्रकूट के ग्राम अमवों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

बी० राम शास्त्री,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 10 अप्रैल, 2021 ई० (चैत्र 20, 1943 शक संवत्)

भाग 4

कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
वर्ष 2021 की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा का कार्यक्रम
दिनांक तथा परीक्षा समय

दिवस तथा दिनांक	समय	विषय तथा प्रश्नपत्र हाईस्कूल	विषय तथा प्रश्नपत्र इण्टरमीडिएट
1	2	3	4
शनिवार 08 मई 2021 ई०	प्रातः 8-00 बजे से 11-15 बजे तक	हिन्दी प्रारम्भिक हिन्दी	—
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक	—	हिन्दी, सामान्य हिन्दी
सोमवार 10 मई 2021 ई०	प्रातः 8-00 बजे से 11-15 बजे तक	पालि, अरबी, फारसी	संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्यकला
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक	संगीत गायन	सामान्य आधारिक विषय—(व्यावसायिक वर्ग के लिये) कृषि शस्य विज्ञान(एग्रोनामी)—प्रथम प्रश्नपत्र—(कृषि भाग-1 के लिये) कृषि शस्य विज्ञान(एग्रोनामी)—षष्ठम् प्रश्नपत्र—(कृषि भाग-2 के लिये)

1	2	3	4
मंगलवार 11 मई 2021 ई०	प्रातः 8-00 बजे से 11-15 बजे तक	गृहविज्ञान- (केवल बालिकाओं के लिये) गृहविज्ञान -(बालकों के लिये तथा उन बालिकाओं के लिये जिन्होंने इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया है)	उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, सिन्धी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, नेपाली
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक	-	बहीखाता तथा लेखाशास्त्र -(वाणिज्य वर्ग के लिये), भूगोल
बुधवार 12 मई 2021 ई०	प्रातः 8-00 बजे से 11-15 बजे तक	चित्रकला, रंजनकला	सैन्य विज्ञान
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक	कम्प्यूटर	व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार-(वाणिज्य वर्ग के लिये), गृह विज्ञान,
बृहस्पतिवार 13 मई 2021 ई०	प्रातः 8-00 बजे से 11-15 बजे तक	संस्कृत	चित्रकला (आलेखन), चित्रकला (प्रावैधिक), रंजनकला
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक	संगीत वादन	अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल-(वाणिज्य वर्ग के लिये),
सोमवार 17 मई 2021 ई०	प्रातः 8-00 बजे से 11-15 बजे तक	अंग्रेजी	फल एवं खाद्य संरक्षण, पाकशास्त्र (कुकरी), परिधान रचना एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्यकार्मिक (मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित), रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीट पालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण, कुलाल विज्ञान, कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबुल डाइंग, धातु शिल्प - (मेटल क्राफ्ट), कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आई०टी०/आई०टी०ई०एस०, हेल्थ केयर- प्रथम प्रश्नपत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये)

1	2	3	4
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक	—	कम्प्यूटर, कृषि वनस्पति विज्ञान-द्वितीय प्रश्न पत्र (कृषि भाग-1 के लिये), कृषि अर्थशास्त्र-सप्तम् प्रश्नपत्र (कृषि भाग-2 के लिये)
मंगलवार 18 मई 2021 ई०	प्रातः 8-00 बजे से 11-15 बजे तक	वाणिज्य	पालि, अरबी, फारसी
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक	सिलाई	अंग्रेजी
बुधवार 19 मई 2021 ई०	प्रातः 8-00 बजे से 11-15 बजे तक	सामाजिक विज्ञान	फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र (कुकरी), परिधान रचना एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक (मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित), रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीट पालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण, कुलाल विज्ञान, कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबुल डाइंग, धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट), कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आई०टी०/आई०टी०ई०एस०, हेल्थ केयर-द्वितीय प्रश्नपत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये)
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक		अधिकोषण तत्व (वाणिज्य वर्ग के लिये), कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान-तृतीय प्रश्न पत्र (कृषि भाग-1 के लिये), कृषि जन्तुविज्ञान-अष्टम् प्रश्न पत्र(कृषि भाग-2 के लिये)
बृहस्पतिवार 20 मई 2021 ई०	प्रातः 8-00 बजे से 11-15 बजे तक	कृषि	गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी (वाणिज्य वर्ग के लिये)
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक	मानव विज्ञान, रिटेल ट्रेडिंग (खुदरा व्यापार), सुरक्षा, आटोमोबाइल्स, आई०टी०/आई०टी०ई०एस०, हेल्थ केयर —	रसायन विज्ञान, इतिहास

1	2	3	4
शुक्रवार 21 मई 2021 ई0	प्रातः 8-00 बजे से 11-15 बजे तक	—	औद्योगिक संगठन (वाणिज्य वर्ग के लिये)
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक	—	शस्य विज्ञान(व्यावसायिक), मानव विज्ञान, कृषि अभियंत्रण चतुर्थ प्रश्नपत्र—(कृषि भाग-1 के लिये), कृषि पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान—नवम् प्रश्नपत्र (कृषि भाग-2 के लिये)
शनिवार 22 मई, 2021 ई0	प्रातः 8-00 बजे से 11-15 बजे तक	विज्ञान	मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, तर्कशास्त्र
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक	—	जीव विज्ञान, गणित,
सोमवार 24 मई, 2021 ई0	प्रातः 8-00 बजे से 11-15 बजे तक	गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, नेपाली	काष्ठ शिल्प, ग्रन्थ शिल्प, सिलाई शिल्प फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र (कुकरी), परिधान रचना एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक (मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित), रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीट पालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण, कुलाल विज्ञान, कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबुल डाइंग, धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट), कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आई0टी0/ आई0टी0ई0एस0, हेल्थ केयर— तृतीय प्रश्नपत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये)
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक	—	समाजशास्त्र
मंगलवार 25 मई, 2021 ई0	प्रातः 8-00 बजे से 11-15 बजे तक	गणित	बीमा सिद्धान्त एवं व्यवहार—(वाणिज्य वर्ग के लिये),
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक	—	अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान,

1	2	3	4
बृहस्पतिवार 27 मई, 2021 ई0	प्रातः 8-00 बजे से 11-15 बजे तक	—	फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र (कुकरी), परिधान रचना एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक (मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित), रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीट पालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण (हिन्दी), आशुलिपि एवं टंकण (अंग्रेजी), विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण, कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबुल डाइंग, धातुशिल्प (मेटल क्राफ्ट-अलौह), धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट-नक्काशी), कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आई0टी0 / आई0टी0ई0एस0, हेल्थ केयर-चतुर्थ प्रश्नपत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये)
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक	—	संस्कृत, कृषि गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी-पंचम् प्रश्नपत्र (कृषि भाग-1 के लिये), कृषि रसायन विज्ञान-दशम् प्रश्नपत्र(कृषि भाग-2 के लिये)
शुक्रवार 28 मई, 2021 ई0	प्रातः 8-00 बजे से 11-15 बजे तक		फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र (कुकरी), परिधान रचना एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक (मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित), रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीट पालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण (हिन्दी), आशुलिपि एवं टंकण (अंग्रेजी), विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबुल

1	2	3	4
			डाइंग, धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट)(अलौह), धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट)(नक्काशी), कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आईटी0/आईटी0ई0एस0, हेल्थ केयर-पंचम् प्रश्नपत्र (केवल व्यवसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये)
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक	—	नागरिक शास्त्र

- 1-प्रश्नपत्रों के क्रम के विषय में परीक्षार्थियों को कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता।
- 2-प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिये निर्धारित है।
- 3-दिव्यांग तथा दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु निर्धारित अवधि के अतिरिक्त 20 मिनट प्रति घण्टे के हिसाब से देय होगा।

दिव्यकान्त शुक्ल
सचिव।
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0-2 हिन्दी गजट-भाग 4-2021 ई०।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0-2 मा0शि0प0-09-04-2021-200 प्रतियां (मोनो/डी0टी0पी0/आफसेट)।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 10 अप्रैल, 2021 ई० (चैत्र 20, 1943 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, बाँसी, जनपद सिद्धार्थनगर

19 मार्च, 2021 ई०

सं० 888/न०पा०परि०बाँसी/2020-21-नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 की सूची 1(ज) की उपधारा 'ख' एवं 'ग' के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, बाँसी, जनपद सिद्धार्थनगर ने अपनी सीमा के अन्तर्गत स्थित टैक्सी स्टैण्ड से पार्किंग शुल्क की वसूली हेतु नियमावली, 2020 बनायी गयी है, इस नियमावली को उक्त ऐक्ट की धारा 301-क(1) के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 718/न०पा०परि०बाँसी/2020-21, दिनांक 28 जनवरी, 2021 के द्वारा नियमावली का प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र "राष्ट्रीय सहारा" में 29 जनवरी, 2021 एवं दैनिक समाचार-पत्र "अमर उजाला" में दिनांक 31 जनवरी, 2021 को करायी गयी थी, जिसकी अवधि 1 माह अर्थात् 30 दिन निर्धारित की गयी थी। परन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। तदुपरान्त नगरपालिका परिषद्, बाँसी के बोर्ड की बैठक दिनांक 15 जनवरी, 2021 को पारित प्रस्ताव द्वारा उपविधि को अन्तिम रूप से अनुमोदित करते हुये सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु अनुमति प्रदान की गयी है, जो गजट मुद्रण की तिथि से प्रभावी होगी।

नियमावली

1-संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति-(1) यह नियमावली नगरपालिका परिषद्, बाँसी, जनपद सिद्धार्थनगर की सीमा के भीतर स्थित टैक्सी स्टैण्ड से पार्किंग शुल्क की वसूली से सम्बन्धित नियमावली, 2020 कहलायेगी।

(2) यह नियमावली उस दिनांक से प्रवृत्त होगी जब से नगरपालिका सीमा के अन्तर्गत स्थित टैक्सी स्टैण्ड से पार्किंग शुल्क वसूला जाये।

(3) यह नियमावली नगर सीमा के अन्तर्गत स्थित टैक्सी स्टैण्ड में खड़े होने वाले समस्त प्रकार के वाहनों से पार्किंग शुल्क की वसूली हेतु समस्त प्रकार की तीन पहिया या चार पहिया तथा उससे अधिक धुरी वाले वाहनों पर प्रवृत्त होगा।

2—परिभाषायें—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में—

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (यू0पी0 अधिनियम संख्या 02, सन् 1916) से है।

(2) "नगर" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, बाँसी, जनपद सिद्धार्थनगर से है।

(3) "शुल्क" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 (2) की उपधारा (1) के खण्ड (आठ) के अधीन आरोपित पार्किंग शुल्क से है।

(4) "नगरपालिका परिषद्" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, बाँसी, जनपद सिद्धार्थनगर से है।

(5) "अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/प्रशासक" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, बाँसी, जनपद सिद्धार्थनगर के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/प्रशासक से है।

3—यह उपनियम सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगा।

4—नगरपालिका परिषद्, बाँसी, जनपद सिद्धार्थनगर के सीमा अन्तर्गत कोई सवारी/लारी/बस/ट्रक, मिनी बस/टैम्पो/आटो रिक्शा/फोर व्हीलर/ट्रैक्टर-ट्राली आदि वाहन निर्धारित स्टैण्डों के अतिरिक्त अन्य किसी दूसरी जगह खड़ा नहीं होंगे, ऐसी गाड़ी के ड्राइवर/मालिक/क्लीनर/कन्डक्टर या इन्चार्ज आगे अंकित निर्धारित दर के अनुसार नगरपालिका परिषद्, बाँसी, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा निर्धारित स्थानों पर खड़ा करने का शुल्क अदा करने के बाद ही गाड़ी खड़ा करेंगे।

5—ऐसी गाड़ी के ड्राइवर या कन्डक्टर या इन्चार्ज को गाड़ी खड़ा करने की निश्चित फीस की रसीद अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक/अधिशासी अधिकारी द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारियों के मांगने पर दिखाना अनिवार्य होगा।

6—नगरपालिका परिषद् बाँसी, जनपद सिद्धार्थनगर के सीमा अन्तर्गत किराये पर चलने वाले मोटर गाड़ियों को खड़ा करने हेतु कोई निजी प्राइवेट स्टैण्ड नहीं बनवाया जायेगा।

7—नगरपालिका परिषद् बाँसी, जनपद सिद्धार्थनगर के सीमा अन्तर्गत गाड़ी खड़ी करने के लिये निर्धारित स्थान पर वाहन चालक/मालिक/कन्डक्टर/क्लीनर अथवा इन्चार्ज, नगरपालिका परिषद् बाँसी, जनपद सिद्धार्थनगर के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक/अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारी अथवा ठेकेदार को नियत पार्किंग शुल्क अदा करेगा।

8—कोई भी लारी/बस/मिनी बस/टैक्सी/कार/जीप आदि वाहनों को 24 घंटे से अधिक ठहरने का अधिकार नहीं होगा और यदि इससे अधिक 24 घण्टे के बाद ठहरना चाहे तो उसके लिये अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद् बाँसी, जनपद सिद्धार्थनगर से ऐसी लिखित अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा जैसा की वह नियत करें।

9—नगरपालिका परिषद् बाँसी, जनपद सिद्धार्थनगर की सीमा के अन्तर्गत कोई भी लारी/बस/मिनी बस/टैक्सी/कार/जीप आदि वाहन स्टैण्ड के अतिरिक्त अन्य कहीं पर खड़ा किये जाने पर पार्किंग शुल्क देना अनिवार्य होगा।

10—कोई भी सवारी गाड़ी या लारी/बस/मिनी बस/टैक्सी/कार/जीप/फोर व्हीलर/थ्री व्हीलर/आटो रिक्शा आदि वाहन नगरपालिका परिषद् बाँसी, जनपद सिद्धार्थनगर के सीमा में सवारी अथवा कोई माल उतारेगा अथवा चढ़ायेगा तो उसे पार्किंग शुल्क टैक्सी स्टैण्ड के ठेकेदार अथवा नगरपालिका परिषद् बाँसी, जनपद सिद्धार्थनगर के वसूली हेतु प्राधिकृत कर्मचारियों को देना अनिवार्य होगा।

11—वसूली हेतु अधिकृत ठेकेदार/कर्मचारी को शासन, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर, अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद् बाँसी, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा समय-समय पर निर्गत नियमों व निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

12—वाहनवार निम्नानुसार शुल्क निर्धारित होगा—

वाहन का प्रकार वसूली हेतु निर्धारित दर

	रु0
1—प्राइवेट वाहन मिनी बस	100.00 प्रतिदिन
2—बस	200.00 प्रतिदिन
3—ट्रक (10 पहिया तक)	300.00 प्रतिदिन नम्बर
4—ट्रक ट्रेलर (10 पहिया से अधिक)	500.00 प्रतिदिन
5—टैक्सी/कार/जीप टाटा मैजिक/विंगर आदि समतुल्य वाहन	75.00 प्रतिदिन
6—आटो रिक्शा (07 सीटर तक)	50.00 प्रतिदिन
7—ठेला (इंजन चलित)	50.00 प्रतिदिन

13—पार्किंग सम्बन्धित कोई भी विवाद अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक या अधिशासी अधिकारी द्वारा निपटाया जायेगा। ऐसे विवाद जिनसे यह सिद्ध हो जायेगा कि पार्किंग शुल्क चोरी की गयी। अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक या अधिशासी अधिकारी द्वारा नियत शुल्क से 50 गुना अधिक तक जुर्माना किया जा सकता है।

14—अभियोग चलाने का अधिकार अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक या अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद् बाँसी को प्राप्त होगा।

छूट

1—भाव लेकर जाने वाले एवं एम्बुलेन्स (रोगी वाहन) इस शर्त के साथ पार्किंग शुल्क से मुक्त होंगे कि वे वास्तव में ही रोगी ले जा रहे हैं यदि रोगी के स्थान पर सवारियां लायी जा रही हैं तो शुल्क देना होगा।

2—ऐसे वाहन जो निकाय के सीमा में बिना रुके आवागमन करते हों।

3—ट्रैक्टर-ट्राली जो कृषि कार्य से सम्बन्धित माल बाहर से लाद कर ले आ रही हों।

4—राज्य सड़क परिवहन निगम सहित ऐसे सरकारी वाहन जो सरकारी कार्य हेतु निकाय के सीमा में आवागमन करते हुये एवं सरकारी कार्य में प्रयोग किये जायें।

5—भारत सरकार सहित समस्त राज्य सरकारों के अधीन शासकीय अर्द्धशासकीय/प्रतिष्ठानों/उपक्रमों/परिषदों, निगमों एवं निकायों आदि से सम्बन्धित सरकारी प्रयोग में वाहन पार्किंग शुल्क से मुक्त रहेंगे।

6—नगरपालिका परिषद् बाँसी, जनपद सिद्धार्थनगर के सीमा के अन्तर्गत रहने वाले समस्त प्राइवेट वाहन कार/जीप/स्कूल बस/टैम्पो आदि वाहन जो कि जनपद सिद्धार्थनगर का रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करता हो, को जांच के उपरान्त निःशुल्क पास जारी किये जायेंगे जिससे वाहन स्वामी को अपने वाहन के आगे शीशे पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा जहां से वह स्पष्ट दिखाई दे।

दण्ड

सं0प्रा0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम संख्या 2, 1916) की धारा 299 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उपविधि एवं शर्तों के उल्लंघन का दोष सिद्ध होने की दशा में रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये मात्र) तक अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है, यदि उल्लंघन निरन्तर जारी होना पाया जाय तो रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया मात्र) प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त अर्थदण्ड देय होगा।

मो0 इदरीश राईनी,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, बाँसी,
जनपद सिद्धार्थनगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है सर्वश्री गांधी आटो सेल्स, सदर बाजार, प्रतापगढ़ (पंजीकृत) फर्म के एक भागीदार श्री भारत सिंह का निधन दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 को हो गया है। दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से फर्म की नई डीड के मुताबिक वर्तमान समय में फर्म में निम्नलिखित भागीदार सम्मिलित हैं—श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, श्री प्रताप बहादुर सिंह, श्री राकेश कुमार सिंह, श्री प्रमोद कुमार सिंह, श्री प्रदीप कुमार सिंह एवं श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह।

वीरेन्द्र कुमार सिंह,
भागीदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स रामपाल सिंह मुख्तयार अहमद, 509, किला रोड, न्यू शिव पुरी (निकट महिला डिग्री कालेज), खुर्जा, बुलन्दशहर-203001 की साझीदारी में श्री आशीष चौधरी एवं श्री विनोद कुमार साझीदार थे। दिनांक 12 मार्च, 2021 को श्रीमती पुष्पलता देवी एवं वर्षा फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुई हैं। दिनांक 12 मार्च, 2021 को श्री आशीष चौधरी फर्म की साझीदारी से अपना-अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गये हैं। अब वर्तमान में फर्म में श्री विनोद कुमार, श्रीमती पुष्पलता देवी एवं वर्षा साझीदार हैं। साथ ही साझीदारीनामा दिनांक 12 मार्च, 2021 के अनुसार फर्म का मुख्य कार्यालय के पता परिवर्तन कर "509 न्यू शिव पुरी, (निकट महिला डिग्री कालेज), खुर्जा, बुलन्दशहर-203001" तथा फर्म का शाखा कार्यालय परिवर्तित कर "901, 9वां फ्लोर, एल्फा कामर्शियल बेल्ट, एल्फा-01, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर" कर दिया गया है। यह घोषणा करता हूँ कि एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

विनोद कुमार तेवतिया,
साझीदार,

मेसर्स रामपाल सिंह मुख्तयार अहमद,
पता—509, न्यू शिव पुरी,
(निकट महिला डिग्री कालेज)
खुर्जा, बुलन्दशहर—203001।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स गोल्डन ट्रेडिंग एजेन्सीज, अपोजिट दिवान पब्लिक स्कूल, मेरठ

रोड, हापुड़, उ0प्र0-245101 की साझीदारी में श्रीमती रतनाम सिंघल, श्री अतुल कुमार सिंघल, श्री गौरव सिंघल, श्री सजल सिंघल एवं श्री सौरभ सिंघल साझीदार थे। दिनांक 01 जून, 2019 को श्रीमती रतनाम सिंघल, श्री अतुल कुमार सिंघल एवं श्री सजल सिंघल फर्म की साझीदारी से अपना-अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गये। वर्तमान में फर्म की साझीदारी में श्री गौरव सिंघल एवं श्री सौरभ सिंघल साझीदार हैं। यह घोषणा करता हूँ कि एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

गौरव सिंघल,
साझीदार,

मेसर्स गोल्डन, ट्रेडिंग एजेन्सीज,
अपोजिट दिवान पब्लिक स्कूल,
मेरठ रोड, हापुड़, उ0प्र0-245101।

सूचना

मेरा नाम शकुन्तला यादव है और घर का नाम शकुन है मेरे शैक्षिक अभिलेखों में मेरा नाम शकुन्तला यादव है। इसी नाम से जाना जाय। शकुन्तला यादव पत्नी स्व0 यादवेन्द्र सिंह यादव, निवासी 102 गुरुधाम यादव कालोनी, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।

शकुन्तला यादव।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 के0के0 बिल्डर्स, 130, सिविल लाइन्स, बदायूं, रजि0 नं0-बी-10323 की भागीदारी से दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 से श्री बृजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व0 प्रेम दत्त शर्मा, 130, सिविल लाइन्स, बदायूं व कल्पना शर्मा पत्नी श्री संजीव कुमार शर्मा, निवासी 10, डी0एम0 रोड, सिविल लाइन, बदायूं व मुनीर अख्तर पुत्र श्री मो0 सलीम, निवासी मोह0 नसरुल्लागंज, सहसवान, बदायूं अपनी स्वेच्छा से अलग हो रहे हैं। सभी विधिक औपचारिकतायें पूरी कर ली गयी हैं।

आशा पाण्डेय,
कन्टीन्यू,
पार्टनर,

मे0 के0के0 बिल्डर्स बदायूं।

सूचना

सूचित किया जाता है भागीदारी फर्म मे0 मॉ भगवती आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, ग्राम नावा नगर, तहसील

इगलास, जिला अलीगढ़ जो कि पूर्व में दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से हम कल्यान सिंह पुत्र श्री सौदान सिंह, श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री सौदान तथा श्री हम्वीर सिंह पुत्र श्री सौदान सिंह, निवासीगण-जी-13, विक्रम कालोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़ के द्वारा भागीदारी के अन्तर्गत संचालित थी, किन्तु हम भागीदारों द्वारा उक्त फर्म को दिनांक 01 सितम्बर, 2020 से स्वेच्छा से विघटित कर दिया गया है।

कल्यान सिंह,
भागीदार,

मे0 माँ भगवती आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज,
ग्राम नावा नगर, तहसील इगलास,
जिला अलीगढ़।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स सीताराम एण्टरप्राइजेज, 3/31, केला निवास, समद रोड, अलीगढ़-282001 में श्री अंकुर माहेश्वरी पुत्र श्री अशोक कुमार माहेश्वरी, निवासी बी-1, टाईगर अपार्टमेंट जी0टी0 रोड, अलीगढ़ व श्री विशाल माहेश्वरी पुत्र श्री मनोज कुमार माहेश्वरी, निवासी डी-1, टाईगर अपार्टमेंट, जी0टी0 रोड, अलीगढ़ नये भागीदार के रूप में दिनांक 14 नवम्बर, 2019 से तथा श्री ललित कुमार माहेश्वरी पुत्र स्व0 राम कृष्ण माहेश्वरी, निवासी 17/210-ए, सराय हर नारायण रोड, सासनी गेट, अलीगढ़, दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 से सम्मिलित हो गये हैं तथा पूर्व प्रथम पक्ष श्री सुमित कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 दिनेश चन्द्र अग्रवाल, निवासी 5/396, न्यू अशोक नगर कालोनी, अलीगढ़, श्री सतीश कुमार पुत्र श्री सूरज पाल सिंह, निवासी गांव सहारनपुर, पोस्ट अहमदपुर, जिला अलीगढ़, दिनांक 14 नवम्बर, 2019 से तथा श्री विशाल माहेश्वरी पुत्र श्री मनोज कुमार माहेश्वरी, निवासी डी-1, टाईगर अपार्टमेंट, जी0टी0 रोड, अलीगढ़, दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं। अब फर्म में श्री तरुन अग्रवाल, श्री बालाजी आवास, प्रा0 लि0 द्वारा नरेन्द्र कुमार माहेश्वरी, श्री अनन्त कुमार केला, श्री मनोज कुमार गुप्ता, श्री अंकुर माहेश्वरी, श्री ललित कुमार माहेश्वरी ही भागीदार हो गये हैं।

तरुन अग्रवाल,
भागीदार,

मेसर्स सीताराम एण्टरप्राइजेज,
3/31, केला निवास, समद रोड,
अलीगढ़-282001।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में नाम Rubina Iqbal था, मैंने अपना नाम Rubina Iqbal से

बदल कर Rubina Rasul कर दिया है। अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाये।

RUBINA RASUL.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "अग्रवाल एक्सपोर्ट्स", बी-6-9, रोशन बाग, इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, जिला रामपुर (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को श्री प्रांजल वार्ष्णेय पुत्र श्री नीरज गुप्ता, निवासी बी-8, रोशनबाग, इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, रामपुर व श्री लक्ष्य वार्ष्णेय पुत्र श्री नीरज गुप्ता, निवासी बी-8, रोशन बाग, इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, रामपुर शामिल हो गये हैं तथा अब वर्तमान में चार पार्टनर श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता, श्री नीरज गुप्ता, श्री प्रांजल वार्ष्णेय व लक्ष्य वार्ष्णेय हो गये हैं।

लक्ष्मी नारायण गुप्ता,
पार्टनर,

फर्म मेसर्स "अग्रवाल एक्सपोर्ट्स",
बी-6-9, रोशनबाग, इन्डस्ट्रीयल एस्टेट,
जिला रामपुर (यू0पी0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "फाइन ऑर्गेनिक्स", बी-9, रोशन बाग, इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, जिला रामपुर (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता पुत्र श्री कन्हैया लाल, निवासी बी-8, रोशनबाग, इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, रामपुर रिटायर हो गये हैं तथा रिटायर्ड पार्टनर की उक्त फर्म में कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को श्री प्रांजल वार्ष्णेय व श्री लक्ष्य वार्ष्णेय पुत्रगण श्री नीरज गुप्ता, निवासीगण बी-8, रोशनबाग, इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, रामपुर शामिल हो गये हैं तथा अब वर्तमान में चार पार्टनर श्री नीरज गुप्ता, श्रीमती रेनु गुप्ता, श्री प्रांजल वार्ष्णेय व लक्ष्य वार्ष्णेय हो गये हैं।

नीरज गुप्ता,
पार्टनर,

फर्म मेसर्स "फाइन ऑर्गेनिक्स",
बी-9, रोशनबाग, इन्डस्ट्रीयल एस्टेट,
जिला रामपुर (यू0पी0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स ओम कन्स्ट्रक्शन्स, पता-89, विभूति खण्ड, बिहारीपुर,

गोमती नगर, जिला लखनऊ-226010, विधान में परिवर्तन की सूचना देता हूँ। फर्म में श्री ओम प्रकाश यादव पुत्र स्व0 राम दयाल यादव, पता-89, विभूति खण्ड, बिहारीपुर, गोमती नगर, जिला लखनऊ-226010 का अचानक दिनांक 02 अप्रैल, 2020 को देहान्त हो गया है इस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये फर्म में श्री आनंद कुमार सिंह पुत्र स्व0 बृज नाथ सिंह, पता-55/ए0 कृष्णा नगर, जिला लखनऊ फर्म की भागीदारी में शामिल हो गये हैं।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में सभी विविध औपचारिकतायें, मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

नितिन कुमार यादव,
साझेदार, मेसर्स ओम कन्स्ट्रक्शन्स,
पता-89 विभूति खण्ड, बिहारीपुर,
गोमतीनगर, जिला लखनऊ-226010।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मेसर्स जनता ऑटो स्टोर्स, 272/एच रोड, क्रासिंग, स्याना अनूपशहर रोड, बुलन्दशहर-203001 की साझीदारी में श्री ईश्वर दत्त गौड, श्री अनिल कुमार गौड एवं श्री सुशील कुमार गौड साझीदार थे। फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2008 को श्रीमती ब्रजबाला फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुई तथा श्री सुशील कुमार गौड फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गये, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 को श्री ईश्वर दत्त गौड का स्वर्गवास हो गया, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 को श्री सुशील कुमार गौड एवं श्री सूरज गौड फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुये तथा दिनांक 18 सितम्बर, 2020 को श्रीमती बृजबाला फर्म की साझीदारी से अपना-अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गयी हैं। वर्तमान में फर्म में श्री अनिल कुमार गौड, श्री सुशील कुमार गौड एवं श्री सूरज गौड साझीदार हैं। दिनांक 01 अप्रैल, 2008 की साझीदारी के

अनुसार फर्म का पता परिवर्तन कर "नियर अनूपशहर बस स्टैण्ड, बुलन्दशहर-203001" एवं दिनांक 16 सितम्बर, 2020 की साझीदारी के अनुसार साझीदार श्री अनिल कुमार गौड का निवास स्थान "13/198, कोठियात, सिविल लाईन्स, बुलन्दशहर" हो गया है। यह घोषणा करता हूँ कि एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सुशील कुमार गौड,
साझीदार,
मेसर्स जनता ऑटो स्टोर्स,
नियर अनूपशहर बस स्टैण्ड,
बुलन्दशहर-203001।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स नेशनल पेट्रोल सर्विस स्टेशन, अपोजिट पन्नी सुगर मिल्स, झाझर रोड, बुलन्दशहर-203001 की साझीदारी में श्री ईश्वर दत्त गौड, श्री सुनील दत्त गौड एवं श्री सुशील कुमार गौड साझीदार थे। दिनांक 16 सितम्बर, 2020 को श्री ईश्वर दत्त गौड का स्वर्गवास हो चुका है, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 को श्री प्रतीक गौड फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुये हैं तथा दिनांक 18 सितम्बर, 2020 को श्री सुशील कुमार गौड फर्म की साझीदारी से अपना-अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गये हैं। अब वर्तमान में फर्म की साझीदारी श्री सुनील दत्त गौड एवं श्री प्रतीक गौड साझीदार हैं। यह घोषणा करता हूँ कि एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सुनील दत्त गौड,
साझीदार,
मेसर्स नेशनल पेट्रोल सर्विस स्टेशन,
अपोजिट पन्नी सुगर मिल्स, झाझर रोड,
बुलन्दशहर-203001।